संख्याः 34/2020/745 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषयः-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किये गये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-270/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या-जी-272/दस-लाइसेंस-367/ सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 15.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 महामारी की रोक थाम हेतु कतिपय अपवादों को छोड़ कर देश के समस्त प्रदेशों/संघशासित क्षेत्रों में दिनांक 22.03.2020 से लाकडाउन की स्थिति प्रारम्भ हुयी। इसके पूर्व से ही समस्त बार अनुज्ञापनों का संचालन प्रतिबंधित करा दिया गया था। मदिरा की फुटकर दुकानें भी कतिपय अपवादों को छोड़कर दिनांक 22.03.2020 से ही अधिकांश जिलों में बंद हो गयीं। लाक डाउन के प्रभाव से थोक अनुज्ञापनों, बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों एवं यवासवनियों से निकासी कार्य भी रुक गया और उत्पादन कार्य भी बंद हो गया।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में दुकानों के व्यवस्थापन, नवीनीकरण, अनुज्ञापनों को निर्गत किये जाने, उनकी चौहदद्दी एवं विक्रेताओं को अनुमोदन आदि से संबंधित कार्यों, फुटकर दुकानों, बार अनुज्ञापनों एवं थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के संचालन तथा आसवनियों/यवासवनियों में मदिरा/बीयर के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि में लाकडाउन के उपरान्त की स्थिति में आने वाली कठिनाइयों को इंगित करते हुए उनके निवारण का अनुरोध भी किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) 1- यद्यपि प्रदेश स्तर पर माह-मार्च 2020 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 का उठान किया जा चुका है तथापि लगभग 3711 देशी मदिरा दुकानों द्वारा माह-मार्च 2020 में अपने निर्धारित एम0जी0क्यू जिसमें कुल राजस्व लगभग रु.75.88 करोड़ सन्निहित है का उठान नहीं किया जा सका है। अतः ऐसे दुकानों में लाकडाउन के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

माह मार्च, 2020 के संपूर्ण मासिक एम0जी0क्यू0 के उठान की अनिवार्यता से देशी मदिरा दुकानों को छूट प्रदान की जायेगी।

2- नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत लगभग 1857 दुकानों द्वारा माह-मार्च, 2020 तक निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 2 प्रतिशत अधिक की निकासी जिसमें सन्निहित राजस्व (उपरोक्त प्रस्तर में सम्मिलित धनराशि के अतिरिक्त) रु.1.59 करोड़ है, नहीं ली जा सकी है। अतः नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत ऐसे दुकानों को माह-मार्च,2020 तक निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 2 प्रतिशत अधिक की निकासी लेने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

3- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित लगभग 13451 दुकानों हेतु माह अप्रैल-2020 का निर्धारित एम0जी0क्यू0 384 लाख बल्क लीटर है जिसका उठान लाकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। इसमें लगभग रु.868 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को माह अप्रैल-2020 के एम0जी0क्यू0 को उठाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी। लाक डाउन की अवधि में वृद्धि होने की दशा में आप द्वारा यथास्थिति किये जाने वाले प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अधिकारिता मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. में निहित होगी।

(ख) 1- नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जिनकी कुल संख्या लगभग 1674 है द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक की अनिवार्य निकासी से कम निकासी ली गयी है। इसमें लगभग रु.110.90 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत ऐसे विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स को दिनांक 31.03.2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक होने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

2- वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थित विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जिनकी कुल संख्या लगभग 940 है द्वारा वर्ष 2019-20 के अंतिम त्रैमास में गतवर्ष के अंतिम त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित कुल राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ली गयी है। इसमें लगभग रु.240.48 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थित ऐसे विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स को वर्ष 2019-20 के अंतिम त्रैमास में गतवर्ष के अंतिम त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

3- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित 10470 दुकानों द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास के बराबर राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना लाकडाउन के कारण संभव प्रतीत नहीं होता है। इसमें माह अप्रैल-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2020 का लगभग रु.833 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास के बराबर राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता की गणना में माह अप्रैल- 2020 को सम्मिलित न किये जाने की छूट प्रदान की जायेगी। लाक डाउन की अवधि में वृद्धि होने की स्थिति में अग्रेतर अवधि के संबंध में निर्णय लेने हेतु आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अधिकृत किया जायेगा।

(ग) 1- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित लगभग 5497 दुकानों द्वारा प्रतिभूति जमा नहीं की जा सकी है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को प्रतिभूति जमा करने हेतु लाक डाउन के समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक का समय प्रदान किया जायेगा।

2- बैंक ट्रांजैक्शन फेल्योर के तकनीकी कारणों से नवीनीकरण हेतु अर्ह एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित कुल 119 दुकानों द्वारा लाइसेंस फीस नहीं जमा की जा सकी है। अतः बैंक ट्रांजैक्शन फेल्योर के तकनीकी कारणों से नवीनीकरण हेतु अर्ह एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों की लाइसेंस फीस को जमा करने हेतु लाक डाउन के समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक का समय प्रदान किया जायेगा।

(घ) (1) प्रत्येक स्तर के समस्त अनुज्ञापनों द्वारा लाकडाउन समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर अवशेष स्टाक की घोषणा की जायेगी।

(2) देशी मदिरा के संबंध में

(i) देशी मदिरा की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत 12467 दुकानों पर कुल लगभग 736830 पेटी देशी मदिरा का स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रु. 215.20 करोड़ है। अतः देशी मदिरा की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे फुटकर दुकानों को वर्ष 2019-20 की एम0आर0पी0 पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक की बिक्री करने हेतु लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात देशी मदिरा की समस्त दुकानों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

(ii) देशी मदिरा के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर लगभग 249954 पेटी देशी मदिरा का अवशेष स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 67.8 करोड़ है। अतः देशी मदिरा के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे थोक अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत देशी मदिरा दुकानों एवं लाटरी में चयनित दुकानों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवसों में लाकडाउन के कारण विलम्बित 2019-20 के पारेषणों को प्राप्त किये जाने की भी अनुमति थोक अनुज्ञापनों को दी जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात थोक अनुज्ञापनों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों पर लगभग 452051 पेटी देशी मदिरा का अवशेष स्टाक बचा हुआ है जिस पर देय प्रतिफलशुल्क लगभग रु.91.10 करोड़ है। अतः ऐसे देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

(3) विदेशी मदिरा एवं बीयर के संबंध में

(i) विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत फुटकर दुकानों तथा नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स पर कुल लगभग 960036 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है। अतः विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे फुटकर दुकानों तथा नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स को वर्ष 2019-20 की एम0आर0पी0 पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक की बिक्री करने हेतु लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात विदेशी मदिरा एवं बीयर की अनवीनीकृत फुटकर दुकानों एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स पर बचे अवशेष स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नष्ट किया जायेगा।

(ii) विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स द्वारा अवशेष स्टाक की घोषणा, उपरोक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात 24 घंटे के अंदर आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शपथ-पत्र पर किया जायेगा।

(iii) उपरोक्त प्रस्तर-ग**(ii)** के अनुसार घोषित स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर- 2.7.4 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क के अंतर की धनराशि जमा कराते हुये तद्नुसार अग्रेतर बिक्री की जायेगा।

(iv) वर्ष 2020-21 में पंजीकृत नहीं हुये ब्राण्डों के निस्तारण के संबंध में, आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में निर्धारित तिथि 30.06.2020 को लाकडाउन की अवधि के समतुल्य अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(v) बार एवं क्लब अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक को इन अनुज्ञापनों हेतु लाकडाउन की समाप्ति तिथि से 15 दिवसों तक बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस 15 दिवस की अवधि के पश्चात 2020-21 हेतु नवीनीकृत बार एवं क्लब अनुज्ञापनों द्वारा अपने स्टाक की घोषणा कर आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार बिक्री की जायेगी।

(vi) विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर कुल लगभग 454552 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है जिसकी अनुमानित एम0आर0पी0 लगभग रु. 225.60 करोड़ है। अतः विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक की निकासी बिना रोल ओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत एवं लाटरी में चयनित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स को करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों में लाकडाउन के कारण विलम्बित 2019-20 के पारेषणों को प्राप्त किये जाने की भी अनुमति थोक अनुज्ञापनों को प्रदान की जायेगी।

(vii) उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात विदेशी मदिरा एवं बीयर के अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर बचे स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 के अनुसार नष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(viii) विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों द्वारा उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात बचे स्टाक की घोषणा 24 घंटे के अंदर आबकारी नीति के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शपथ-पत्र पर कर स्टाक का निस्तारण आबकारी नीति के उक्त प्रस्तर के अनुसार रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क का अंतर एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस फीस जमा कराकर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ix) बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों पर कुल लगभग 1434179 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है जिसकी अनुमानित एम0आर0पी0 लगभग रु. 281.40 करोड़ है। अतः ऐसे बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों के वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2019-20 की दर पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये, वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष केवल नवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों को किये जाने की अनुमति लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों के वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 के अनुसार किया जायेगा।

(x) एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों को लाक डाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक बिना रोल ओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक वर्ष 2019-20 की बिक्री यथावत किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात उपरोक्त अनुज्ञापनों पर बचे स्टाक वर्ष 2019-20 का निस्तारण रोल ओवर शुल्क, प्रतिफल शुल्क का अंतर तथा ट्रेक एण्ड ट्रेस फीस जमा करने के पश्चात आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार किया जायेगा।

(4) अनवीनीकृत दुकानें जिन्हें उपरोक्तानुसार अवशेष स्टाक की बिक्री की अनुमति प्रदान होगी,उक्त अवधि या अवशेष स्टाक समाप्त होने की अवधि, जो पहले हो, के लिये वैध अनुज्ञापन माने जायेंगे।

(ङ) 1. इण्डेण्टों के सापेक्ष निर्धारित समयावधि के पश्चात विलम्ब से आपूर्ति की दशा में जुर्माना आरोपित किये जाने के प्राविधान से आपूर्तकों को माह-मार्च, 2020 से लाक डाउन समाप्त होने से अगले माह तक छूट प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. लाकडाउन के पूर्व निर्गत पासों/परमिटों की वैधता अवधि अनुरोध किये जाने पर लाकडाउन की समाप्ति से प्रदेश के बाहर के प्रकरणों में 14 कार्य दिवस तथा प्रदेश के अंदर के प्रकरणों में 7 कार्य दिवस तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3. वार्षिक विवरण प्रपत्रों को तैयार किये जाने हेतु लाकडाउन समाप्ति से 30 दिवस तक की अवधि प्रदान की जायेगी।

4. यदि निर्धारित फीस समयांतर्गत जमा कर दी गयी हो तब आसवनियों/यवासवनियों के अनुज्ञापन नवीनीकरण संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु लाकडाउन समाप्ति से 30 दिवस तक की अवधि प्रदान की जायेगी।

(च) उपरिवर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरण भी एकाएक प्रकाश में आ सकते हैं जिनके निस्तारण हेतु समुचित निर्णय लिये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अधिकारिता मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. में निहित होगी।

(छ) उपरोक्त समस्त प्रस्तरों में लॉकडाउन समाप्ति तिथि का तात्पर्य ऐसी तिथि या तिथियां से है, जो राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप्स, भांग की फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों, बाण्ड अनुज्ञापनों, होटल, बार एवं क्लब अनुज्ञापनों को खोलने के लिए निर्धारित की जाएगी।

4. कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।